


दिनांक	आज्ञा पत्र
24.2.16	<p>पत्रावली पत्र। वर्काल अपीलत को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई बा ल आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पत्र को अन्वय आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलत ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पत्र नहीं किये को है इसके स्पष्ट है कि अपीलत अपनी अपील के प्रति बन्धी नहीं है। अतः वर्काल अपीलत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय को अन्वयत दुनया गया। पत्रावली फंसल दुनया गेज नुनय कोनर का भारतीय एम्पलीस दायित्व दायता को।</p> <p style="text-align: right;">   <b>अनिल कुमार II RAS</b>  <b>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं</b>  <b>पदेन राजपत्र संग्रहीत अधिकारी</b>  <b>सीकर (आ.स. अ.स.स.)</b> </p>

